

क्रमांक प.2ग(21)राजस्व-11/12/ 2780

दिनांक 15-08-2014

प्रारूप - "ड"
लिखित नियम 9(3), (4) और (6)

संपरिवर्तन-आदेश

गोपीबाई फाउन्डेशन, ट्रस्ट कोटा (राजस्थान) जयें मेनेजिंग ट्रस्टी श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाब चन्द माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 112-ए शक्ति नगर कोटा (राज0) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधिति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (ए)जी(111) के अन्तर्गत उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रुपान्तरण) विभाग राज0 जयपुर पत्र सं0 प02 (3)राज0/भू0रू0/2012 जयपुर दिनांक 6-3-2012 से जारी स्वीकृति के अनुसार अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-


कस	विवरण विन्दु	सूचना
1	आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति का नाम	संस्था गोपी बाई फाउन्डेशन, ट्रस्ट कोटा, (राजस्थान) जयें मेनेजिंग ट्रस्टी श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचन्द माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 112-ए शक्ति नगर कोटा (राज0)
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ अनु0 जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल (है0) (ग) प्रत्येक खसरा सं0 के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 एवं व0मी0 में)।	ग्राम आलनिया, ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राजस्थान) ख0न0 292 रकबा 0.22है0, ख0न0291 रकबा 0.61है0 ख0न0 294 रकबा 0.41है0, ख0न0 304 रकबा 0.20 है0 ख0न0305 रकबा 0.21 है0 ख0न0306 रकबा 0.16है0, ख0न0 309 रकबा 0.58है0, ख0न0 262/361 रकबा 1.22है0 कुल रकबा 3.61है0 ख0न0 292 रकबा 0.22है0, ख0न0291 रकबा 0.61है0 ख0न0 294 रकबा 0.41है0, ख0न0 304 रकबा 0.20 है0 ख0न0305 रकबा 0.21 है0 ख0न0306 रकबा 0.16है0, ख0न0 309 रकबा 0.58है0, ख0न0 262/361 रकबा 1.22है0 कुल रकबा 3.61है0 टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (Institutional purpose.)
5	सदय प्रिमियम की दर	नियम 7(vii) के अनुसार @रू0 5/- प्रति वर्गमीटर या डी0एल0सी0 दर की 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो के अनुसार 17,83,801/- में राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2003 के अनुसार रुपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देय होने से 1/2राशि 8,91,851/- (अक्षरे आठ लाख इकरानवे हेजार आठ सौ इक्यावन रुपये) देय।
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम	ई चालान सं00001148895 दिनांक 05-02-2014 से राशि 8,91,851/- (अक्षरे आठ लाख इकरानवे हेजार आठ सौ इक्यावन रुपये) राजस्व मद 029 में बैंक में जमा।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो।	निल
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज राशि यदि कोई हो कि जमा कराई गई हो।	निल
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 75 मीटर छोड़कर तथा ग्रामीण रोड के मध्य से 18 मीटर छोड़कर भूमि पर करना होगा।

कमश पेज 2

(2)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

- 1-उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा न ही हस्तान्तरण किया जा सकेगा।
- 2-यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
- 3-भवनों का निर्माण इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़कर करना अनिवार्य होगा।
- 4-राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 6-3-2012 के अनुसार यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से जाने के लिए स्वीकृति चाहता है तो ऐसी स्थिति में नेशनल हाईवे आथोरिटी आफ इंडिया से और यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 5-राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(6)राज-6/92 पार्ट/23 दि0 17-7-2007 एवं अधिसूचना क्र06(6)राज-6/92पार्ट/4 दि0 16-01-2012 की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 6-संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ निर्माण पर सम्बंधित निकटस्थ ग्राम पंचायत/नगर पालिका/स्थानीय निकाय विभाग की उप विधियों तथा आयुक्त कालेज शिक्षा के निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियमानुसार स्वीकृति/अनुज्ञापत्र प्राप्त करके नियमानुसार सेट बैक छोड़कर ही निर्माण कराया जा सकेगा।
- 7-माननीय उच्च न्यायालय राज0 के एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन सं0 11153/2011 के निर्णय अनुसार किसी भी वाटर चैनल के जल के बहाव को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- 9-सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का कोई भी भाग किसी अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
- 10-नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 11-रूपान्तरित भूमि में से 40 प्रतिशत भूमि लोकोपयोगी प्रयोजन (यथा खेलमैदान, रोड, पार्क अत्यादि) के लिए सुरक्षित रखना होगा तथा उसका उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
- 12-इस आदेश के तहत भूमि संपरिवर्तन से सम्बंधित नियमान्तर्गत किसी प्रकार की कोई राजकीय राशि व किसी आडिट पेरा के अनुसार कोई भी राशि द्रुक्काया निकलती है तो नियमानुसार उसका भुगतान राज्य सरकार को करना अनिवार्य होगा।
- 13-संपरिवर्तन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संपरिवर्तन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।


जिला कलेक्टर


कोटा

दिनांक 15-05-2014

क्रमांक प.2ग(21)राजस्व-11/12/ 2790-2785

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव महोदय, राजस्व(भूमि रुपा0) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्र सं0 प02(3)राज/भू0रु0/12 दि0 6-3-2012 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
- 3- अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन0एच0-12 कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 4- तहसीलदार, लाडपुरा / नायब तहसीलदार मण्डाना जिला कोटा को नक्शे की छायां प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आदेश का अंकन राजस्व रेकार्ड में करके पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।
- 5- सरपंच, ग्राम पंचायत आलनिया प0स0 लाडपुरा जिला कोटा।
- 6- गोपी बाई फाउन्डेशन ट्रस्ट कोटा राजस्थान जय मेनेजिंग ट्रस्टी श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचन्द माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 112-ए शक्ति नगर कोटा (राज0)
- 7- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, कोटा। /रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
कोटा

प्रारूप - "ख"
लेखिये नियम 9(3), (4) और (6)

क्रमांक प.2ग()राजस्व-11/09/ 3061-67

दिनांक 17-05-2010

संपरिवर्तन-आदेश

गोपीबाई फाउन्डेशन, कोटा (राजस्थान) जर्ज मेनेजिंग ट्रस्टी श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाब चन्द माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 112-ए शक्ति नगर कोटा (राज0) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रुपान्तरण) विभाग राज0 जयपुर पत्र सं0 प02 (217)राज0/भू0रु0/08 जयपुर दिनांक 7-9-2009 से जारी स्वीकृति के अनुसार अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

क्र.सं.	विवरण बिन्दु	सूचना
1	आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति का नाम	संस्था में गोपी बाई फाउन्डेशन, कोटा, (राजस्थान) जर्ज मेनेजिंग ट्रस्टी श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचन्द माहेश्वरी जाति महाजन निवासी 112-ए शक्ति नगर कोटा (राज0)
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ अनु0 जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल (है0) (ग) प्रत्येक खसरा सं0 के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 एवं वर्गमी0 में)।	ग्राम आलनिया, ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राजस्थान) ख0नं0 301/1.30 है0, 303/358/0.20 है0, 313/0.32 है0, 314/0.05 है0, 298/0.19 है0, 318/0.21 है0, 320/0.15 है0, 284/0.80 है0, 319/0.57 है0, 320/345/0.17 है0, 321/0.18 है0, 322/0.81 है0, 323/0.30 है0, 297 0.56 है0, 299/0.16 है0, 300/1/0.40 है0, 300/0.40 है0, 315/0.06 है0, 316/0.43 है0, 317/1.75 है0, 312/1.41 है0, 307/0.38 है0, 293/0.42 है, व 308/2.01 है0 कुल कित्ता 24 रकबा 13.23 है0 ख0नं0 301/1.30 है0, 303/358/0.20 है0, 313/0.32 है0, 314/0.05 है0, 298/0.19 है0, 318/0.21 है0, 320/0.15 है0, 284/0.80 है0, 319/0.57 है0, 320/345/0.17 है0, 321/0.18 है0, 322/0.81 है0, 323/0.30 है0, 297 0.56 है0, 299/0.16 है0, 300/1/0.40 है0, 300/0.40 है0, 315/0.06 है0, 316/0.43 है0, 317/1.75 है0, 312/1.41 है0, 307/0.38 है0, 293/0.42 है, व 308/2.01 है0 कुल कित्ता 24 रकबा 13.23 है0 टिप्पणी :-अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (Institutional purpose.)
5	सदेय प्रिमियम की दर	नियम 7(vii) के अनुसार @रु0 5/-प्रति वर्गमीटर या डी0एल0सी0 दर की 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो के अनुसार डी0एल0सी0दर 7,80,000/-रु0प्रति बीघा होने से दर 780000 + 1618.74 x 10%=48.18 प्रति वर्गमीटर से 63,74,958/-देय। राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2003 के अनुसार रुपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देय होने से 1/2राशि 31,87,480,00 (अक्षरे इक्कीस लाख सतासी हजार चार सौ अस्सी रुपये) देय।
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम	चालान सं01804 दिनांक 31-03-2010, राशि 31,87,480-00(अक्षरे इक्कीस लाख, सतासी हजार चार सौ अस्सी मात्र) तह0 लाडपुरा में जमा
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो।	निल
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज राशि यदि कोई हो कि जमा कराई गई हो।	निल
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 75 मीटर छोड़कर तथा ग्रामीण रोड के मध्य से 18 मीटर छोड़कर भूमि पर करना होगा।

(2)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-

- 1- उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 2- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
- 3- भवनों का निर्माण इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़कर करना अनिवार्य होगा।
- 4- राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 7-9-09 के अनुसार यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से जाने के लिए स्वीकृति चाहता है तो ऐसी स्थिति में नेशनल हाईवे आथोरिटी आफ इंडिया से और यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 5- कार्यालय आदेश सं० प०२ग(५)राज-पा/१०/१२९९ दि० २६-३-२०१० से जारी सेट अपार्ट आदेश की शर्तों के अनुसार नेशनल हाईवे १२ से अपनी भूमि तक राजकीय भूमि ख०न० २६५ रकबा ०.०८ है० व ख०न० २८३ रकबा ०.०८ है० कुल ०.१६ है० (८८x१६ Met.) में निर्धारित १६ मीटर चौड़ाई के सार्वजनिक रास्ते को अपनी उक्त रूपान्तरित भूमि में होकर आगे तक बढ़ाना होगा ताकि उक्त रूपान्तरित भूमि में से आगे की अन्य भूमि धारकों को रास्ता मिल सके। इस रास्ते का इन्द्राज अपने प्लान में भी करके अनुमोदन करवाना होगा।
- 6- राजस्व(मुप-६)विभाग राजस्थान के परिपत्र सं० एफ०३(६)रेवे-६/९२पार्ट/१७ दिनांक २५-४-०७ से गठित समिति से नियम ९ के उप नियम २ अनुसार नक्शे/प्लान का अनुमोदन करवाना होगा। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प०६(६)राज-६/९२ पार्ट/२३ दि० १७-७-२००७ की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 7- निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय विभाग की उप विधियों तथा आयुक्त कालेज शिक्षा के निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा।
- 8- सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का कोई भी भाग किसी अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग में नहीं लिया जावेगा।
- 9- नियम ४ में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10- लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी धस विधिमन्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 11- इस आदेश के तहत भूमि संपरिवर्तन से सम्बंधित नियमवन्तर्गत किसी प्रकार की कोई राजकीय राशि व किसी आडिट चेरा के अनुसार कोई भी राशि बकाया निकलती है तो नियमानुसार उसका भुगतान करना होगा।
- 12- संपरिवर्तन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संपरिवर्तन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।


जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांक प.२ग()राजस्व-पा/०९/ ३०६-६७

दिनांक ७-०६-२०१०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- सलमन उप सचिव महादय, राजस्व(भूमि रुपा०) विभाग राज० जयपुर को उनके पत्र सं० प०२(२१७)राज/भू०रू०/०८ दि० ७-९-०९ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
- 3- अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन०एच.०.१२ कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 4- तहसीलदार, लाडपुरा /नायब तहसीलदार मण्डाना जिला कोटा को नक्शों की छायां प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि आदेश का अंकन राजस्व रेकार्ड में करके पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।
- 5- सरपंच, ग्राम पंचायत आलनिया पं०स० लाडपुरा जिला कोटा।
- 6- गोपी दाई फाउण्डेशन कोटा राजस्थान जर्ने मैनेजिंग ट्रस्टी श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी पुत्र श्री गुलाबचन्द माहेश्वरी जाति महाजन निवासी ११२-ए शक्ति नगर कोटा (राज०)
- 7- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, कोटा। /रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
कोटा